# जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

## कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 122 वीं बैठक दिनांक 19.02.2009 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 2 व 5 तथा अतिरिक्त एजेण्डा 1 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं एजेण्डा संख्या से 3, 4 व 6 तथा अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 2 वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी, जिसका संकलित कार्यवाही विवरण सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. सुश्री रेखा गुप्ता, सचिव जविप्रा, जयपुर ।
2. श्री पी. के. पाण्डे, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर
3. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं आ‍.ाप्ति) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एन. एल. मीणा, अति. आयुक्त (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती सीमा सिंह, अति. आयुक्त (पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
6. श्री मोहन टावरी, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)/सदस्य सचिव जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्रीमति लवंग शर्मा वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी.) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–2, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एच. एम. ढाका, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस.एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री अजय अग्रवाल,, उपायुक्त जोन–10, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जो॰ ॰2, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी–स्कीमस) जविप्रा, जयपुर।
8. श्री हरिप्रसाद शर्मा, उप नगर नियोजक, जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री मोहन लाल शर्मा, उप नगर नियोजक, जोन–12 जविप्रा, जयपुर।

---

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा संख्याः–1

विषयः–बीपीसी (ले आउट प्लान) की 121 वीं बैठक दिनांक 10–13.10.08 के कार्यवाही विवरण की पुष्ठि।

प्रस्तावनुसार कार्यवाही विवरण की पुष्ठि निम्न संशोधन के साथ की गयी।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–3 (जोन–6)

121/10–13.10.08.

विषयः–शेखावाटी नगर (जय अम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति) के भूखण्ड संख्या 57, 64, 65–ए, 66, 67 (कुल 5 भूखण्ड) के आवासीय नियमन के संबंध में

कार्यवाही विवरण के द्वितिय पैरा में भूखण्ड संख्या 65 के स्थान पर 64 अंकित किया जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–2 (जोन–2)

122 / 19.02.09

विषयः–गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गोविन्द नगर पूर्व के भूखण्ड संख्या 37, 38, 165, 258, 259 व 97 का नियमन कर पट्टा दिये जाने के संबंध में।

जोन द्वारा दिये गये प्रस्ताव तथा वरिष्ठ नगर नियोजक प्रोजेक्ट द्वारा दी गई टिप्पणी के साथ प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। भूखण्ड संख्या 37, 38 व 165 जविप्रा से अनुमोदित योजना मानचित्र में पार्क हेतु आरक्षित है तथा भूखण्ड संख्या 258, 259 व 97 अनुमोदित योजना में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पार्क भी सुविधा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। उक्त समस्त छः भूखण्ड राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–3() नविवि / 03 / 07 दिनांक 24.12.07 की चारों शर्तों की पूर्ति करते है इसलिये इन सभी भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने की अनुशंसा करते हुये आदेश दिनांक 21.12.07 के क्रम में राज्य सरकार को परीक्षाणर्थ भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–3 (जोन–5)

122 / 19.02.09

विषयः– विवेक विहार योजना के भूखण्ड संख्या 5 व 44 के पुर्नगठन व मौके की स्थिति के अनुसार अनुमोदित मानचित्र में संशोधन किये जाने के संबंध में।

वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचार र्थ प्रस्तुत किया। पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 718.33 वर्ग गज है। यह प्रकरण भवन मानचित्र समिति की बैठक क्रमांक 121वीं दिनांक 10–13.10.2008 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसके क्रम में भूखण्डों को पुर्नगठित करने का निर्णय लिया गया था। जिसकी कार्यवाही विवरण में सैटबैक के उल्लेखन के त्रुटी होने के कारण प्रकरण को पुनः बीपीसी (एलपी) की बैठक में रखा गया। विचार–विमर्श पश्चात् त्रुटी में संशोधन करते हुये निम्नानुसार पढे जाने का निर्णय लिया गया।

सैटबैक

सामने–100'–0" चौडी सडक–25'–0"

साइड–1 भूखण्ड संख्या–4 की ओर–10'–0"

साइड–2 भूखण्ड संख्या–6 की ओर–शून्य

पीछे–30'–0" सडक की ओर–25'–0"

अन्य मानदण्ड जयपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम 2000 की तालिका "ख" के अनुसार देय होगें।

एजेण्डा संख्याः–4 (जोन–5)

122 / 19.02.09

विषयः–नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना निर्माण नगर ए–बी के भूखण्ड संख्या 10, 11, 14 व 15 के पुर्नगठन के संबंध में।

वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। भूखण्ड संख्या 10, 11, 14 व 15 एक ही परिवार के भूखण्ड हैं इन चारों भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 1624.78 वर्ग गज है। विचार विमर्श पश्चात इन भूखण्डों को पुर्नगठित करने का निर्णय लिया गया।

पुर्नगठित भूखण्ड संख्या अजमेर रोड पर होने के कारण बहूमंजिले परिसर के निर्माण होने की संभावना है इस योजना का स्वरूप बदले जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये समिति ने विचार विमर्श पश्चात् इस पुर्नगठित भूखण्ड के पैरामीटर्स स्वतंत्र आवासीय ईकाई से संबंधित जयपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम 2000 की तालिका "ख" के अनुसार सैटबैक, भवन की उचाई, एफ.ए.आर आच्छादित क्षेत्रफल दिये जाने का निर्णय लिया गया।

पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1624.78 वर्ग है इसलिये इसकी स्वीकृति हेतु प्रकरण को राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

<u>एजेण्डा संख्याः–5 (जोन–7)</u>

122 / 19.02.09

विषयः– नानकपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना शिवराज निकेतन के भूखण्ड संख्या 20, 33, 65, 66 व 67 के पुर्नगठन के संबंध में।

जोन द्वारा दिये गये प्रस्ताव तथा वरिष्ठ नगर नियोजक प्रोजेक्ट द्वारा दी गई टिप्पणी के साथ प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् प्रस्तावित भूखण्डों का पुर्नगठन किये जाने का निर्णय लिया गया। पुर्नगठित भूखण्ड के स्वतंत्र आवासीय प्रयोजनार्थ निम्नानुसार पैरामीटर्स देय होगें:–

<u>स्वतंत्र आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित सैटबैक व अन्य पैरामीटर्सः–</u>

| | | |
|---|---|---|
| सामने (80' चौडी सडक पर) | – | 12.0 मीटर |
| सामने (30' चौडी सडक की ओर) | – | 6.0 मीटर |
| शेष दिशाओं में | – | 6.0 मीटर |
| अधिकतम ऊँचाई | – | 12 मीटर + स्टिल्ट |
| अधिकतम एफ.ए.आर | – | 1.2 |
| अधिकतम आच्छादन | – | सैटबैक क्षेत्र के अन्दर |

शेष शर्तें राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.03.07 के अनुसार रहेगी।

पुर्नगठन आदेश जारी करने से पूर्व भूखण्ड संख्या 67 में सैटबैक सीमा में विद्यमान निर्माण को प्रार्थी द्वारा हटाये जाने के पश्चात् ही पुर्नगठन की कार्यवाही की जावे।

पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1600 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

<u>एजेण्डा संख्याः–5 (जोन–11)</u>

122 / 19.02.09

विषयः–मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सचिवालय नगर के अनुमोदन के संबंध में।

वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी द्वारा प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। प्रकरण को पूर्व की बीपीसी (एलपी) की बैठक क्रमांक 121 दिनांक 10–13.10.08 में 60:40 में योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था किन्तु समिति के प्रशासक द्वारा प्रस्तुत योजना में 65.55 प्रतिशत दर्शाये आवासीय क्षेत्र को ही अनुमोदित करने के संबंध में निवेदन करने पर प्रकरण को पुनः इस बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बैठक में समिति का प्रतिनिधि भी उपस्थित हुआ, विचार विमर्श के दौरान समिति के प्रतिनिधि ने कहा कि किसानो को एवं सदस्यों

को काफी समय पूर्व भूखण्ड आवंटित हुये हैं तथा वह भूखण्डों के क्षेत्र में कमी नहीं करवाना चाहते हैं। समिति के सदस्यों ने इस संबंध में विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया कि मौके पर निर्माण 10 प्रतिशत से कम है इसलिये नियमों के अनुसार ही 60:40 में योजना प्रस्तुत करें व प्रार्थी से नियमानुसार संशोधित मानचित्र लिये जावें।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–1 (जोन–7)</u>

122 / 19.02.09

विषयः–निजी खातेदार ए.आर.जी ग्रुप की आवासीय योजना ए.आर.जी पुरम के अनुमोदन के संबंध में।

12:वी बैठक में अनुमोदित ले–आउट प्लान में आवेदक द्वारा किये गये संशोधनों के कारण निर्देशानुसार वरिष्ठ नगर नियोजक प्रोजक्ट द्वारा प्रकरण पुनः समिति समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया; समिति द्वारा प्रस्तुत योजना एवं एजेण्डा का अवलोकन कर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् निम्न संशोधनों के साथ योजना अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. 1500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र के भुखण्डों के पट्टे जारी करने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे।
2. भूखण्ड संख्या बी–89 का आकार उचित नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया गया।
3. 6 प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्र में से 2 प्रतिशत क्षेत्र जनसाथी रोजगार योजना के अर्न्तगत आरक्षित क्षेत्र में अधिकतम 10'X10' नाप की दुकानें रखी जावें।
4. योजना में प्रस्तावित शेष 4 प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्र में मास्टर प्लान जोनिंग कोड के आवासीय यूज जोन में अनुज्ञेय व्यावसायिक उपयोग ही स्वीकृत किये जावे।
5. योजना हेतु बिजली, पानी, सीवरेज निस्तारण तथा नायला रोड से योजना तक वांछित चौडाई के पहूंच मार्ग की व्यवस्था आवेदक द्वारा स्वयं उपलब्ध कराई जावेगी।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–2 (जोन–5)</u>

122 / 19.02.09

विषयः–नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना गोपालपुरा सी के भूखण्ड संख्या–71 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।

वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी द्वारा प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि भूखण्ड का मूल आवंटी श्री रमेश चन्द गुप्ता है तथा श्री रमेश चन्द गुप्ता द्वारा श्रीमती कुसुमलता अरोडा को भूखण्ड एग्रीमेन्ट द्वारा विक्रय किया गया है। जबकि राज्य सरकार के आदेशानुसार आवेदक मूल आवंटी होना चाहिये तथा मूल आवंटी द्वारा भूखण्ड रजिस्ट्री द्वारा विक्रय किये जाने के कारण पश्चात् ही सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के संबंध में है।

चूंकि आवेदक मूल आवंटी नहीं है तथा एग्रीमेन्ट द्वारा भूखण्ड विक्रय किया गया है। इसलिये प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

27.2.09

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / प्रोजेक्ट / 2009 / डी–54
दिनांक :– 27/2/2009

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।.
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा,. जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।.
5. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी),जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
9. .जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

27.2.09

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान), जविप्रा
जयपुर।

# जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

## कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 123 वीं बैठक दिनांक 26.02.2009 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। एजेण्डा संख्या 2 से 4 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं एजेण्डा संख्या से 5 व 6 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी, द्वारा प्रेषित किया गया। कार्यवाही विवरण की पुष्टि बीपीसी (एलपी) की आगामी बैठक में की जावेगी।

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पी. के. पाण्डे, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर
2. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं आवाप्ति) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एन. एल. मीणा, अति. आयुक्त (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती सीमा सिंह, अति. आयुक्त (पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री मोहन टावरी, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) एवं सदस्य सचिव जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्रीमति लवंग शर्मा वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी.) जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमति प्रीती माथुर, उपायुक्त जोन–1, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एच. एम. ढाका, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री अजय असवाल,, उपायुक्त जोन–10, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री बाबूलाल गोयल, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री गोपाल कृष्ण, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी–स्कीमस्) जविप्रा, जयपुर।
10. श्री ओ.पी पारीक, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
11. श्री ओ.पी. शर्मा, तकनीकी सहायक, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
12. श्री टी.एस. राठौड, उप नगर नियोजक, जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री हरिप्रसाद शर्मा, उप नगर नियोजक, जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
15. श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन–12 जविप्रा, जयपुर।

---

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा संख्याः–1

विषयः–बीपीसी (ले आउट प्लान) की 122 वीं बैठक दिनांक 19.02.09 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

कार्यवाही विवरण जारी नहीं होने के कारण पुष्ठि आगामी बैठक में किया जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

एजेण्डा संख्याः–2 (जोन–7)

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)

123/26.02.09

विषयः–रामनगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विनायक विहार में स्थित 40' सेक्टर रोड को परिवर्तित करने या विलोपित करने के संबंध में।

जोन द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

एजेण्डा संख्या:–3 (जोन–7)

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)

123 / 26.02.09

विषय:–सयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की आफिसर्स कैम्पस विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या 266, व 267 को सुविधा क्षेत्र से मुवत करने के संबंध में।

जोन द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनों भूखण्ड राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–3() नविवि / 03 / 07 दिनांक 24.12.07 की चारों शर्तों की पूर्ति करते है इसलिये इन भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने की अनुशंसा करते हुये आदेश दिनांक 21.12.07 के क्रम में राज्य सरकार को परीक्षाणर्थ भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार को प्रकरण भेजने से पूर्व गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जविप्रा को प्रस्तुत योजना मानचित्र व जविप्रा द्वारा अनुमोदित मानचित्र तथा अन्य दस्तावेजों से भूखण्ड संख्या 266 व 267 का क्षेत्रफल जोन द्वारा सुनिश्चित किया जावे।

एजेण्डा संख्या:–4 (जोन–7)

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट)

123 / 26.02.09

विषय:– भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना "नन्द गांव" में भूखण्ड संख्या 83 को सृजित / नियमन करने के संबंध में।

जोन द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को भूखण्ड के आस–पास रोड नेटवर्क की स्थिति जोन द्वारा तैयार कर व अन्य संबंधित सभी तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।

एजेण्डा संख्या:–5 (जोन–11)

वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी)

123 / 26.02.09

विषय:– ग्रास फिल्ड फायर कैपिटल्स डवलपर्स प्रा० लि० की वृहद आवासीय योजना (टाउनशिप योजना) अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण स्थगित रखा गया।

एजेण्डा संख्या:–5 (जोन–11)

वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी)

123 / 26.02.09

विषय:– मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना "सचिवालय" नगर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 19.02.09 के निर्णय के संबंध में सहकारी समिति के प्रशासक द्वारा 60:40 में योजना प्रस्तुत की है। उसे निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

1. सहकारी समिति की पुरानी योजना होने के कारण 80'–0" चौडी सडकों के दोनों ओर व्यावसायिक भू–पट्टी नहीं रखी जावे।
2. जिन खसराओं की भूमि का वाद न्यायालय में विचाराधीन है उस भूमि के प्रस्तावित भूखण्डों को स्वीकृत नहीं किया जावे।
3. जिस भूमि का ग्रामीण से आवासीय में भू–उपयोग उपान्तरण नहीं हुआ है तथा 90बी की कार्यवाही नहीं हुई है उस भूमि में प्रस्तावित भूखण्डों को अस्वीकृत किया जाता है।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / प्रोजेक्ट / 2009 / डी– 58
दिनांक :– 27/2/9
प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।,
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।,
5. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी),जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान), जविप्रा
जयपुर।